उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 219654202509403

ग्राम क्रमांक : 219654 ग्राम का नाम (परगना) : बडौत पटटी चौ0बाहर(बडौत) तहसील : बडौत जनपद : बागपत फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00237

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
177	1) उमर फारूखी / मुख्तयार अहमद / नि.ग्राम 2) तारिक उमर फारूकी / मुख्तयार अहमद / नि.ग्राम 3) मौहम्मद विकार / मुख्तयार अहमद / नि.ग्राम		1397	177(2196540177000012)	0.2530	1) 1/3 2) 1/3 3) 1/3	1) 0.0843 2) 0.0843 3) 0.0844	6.25
							0.2530	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.2530 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 6.25 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.2530)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)
		177(2196540177000012)			177(2196540177000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :
19)अभ्युक्ति :
पूर्व आदेशों का विवरण 1) आदेश श्रीमान तह0 (न्यायिक) बडौत वाद सं0T 201711880042557 दि0.04.01.18. को आदेश हुआ कि खाता सं0 237 के ख0स0 177 रकबा 0.2530 है0 ल012.50 अपने सम्पूर्ण 1/2 भाग से विक्रेतागण मौहम्मद विकार उमर फारूखी उर्फ निसार उमर फारूखी पुत्र मुख्तयार अहमद फारूखी नि0 कस्बा बडौत हाल नि0 3242 हरमोनी बिल्डिग मढ मार्वे रोड आक्सा बीचच्या जबल मालाड वेस्ट मुंबई मुंबई के नामखारिज करके क्रेता चौधरी चरणसिह इंस्टीटयूट छपरौली रोड कस्बा बडौत परगना व तहसील बडौत जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष संजीव आर्य पुत्र स्व0 श्री वीरसैन सिह व सचिव अशोक कुमार पुत्र स्व0वीरसैन सिह नि0गण ग्राम लुहारी के नाम बतौर बैनामा दर्ज होवेह0 03.03.18 2) आदेश श्रीमान तह0न्या0 बड़ौत वाद सं0 T201911080402170 दि0 21.09.19 को आदेश हुआ कि खाता सं0 237 के ख0न0 177 रकबा 0.2530है0 ल0 12.50रू0 के अपने सम्पूर्ण भाग 0.1265है0 मे से केवल 0.1235है0 ल0परता0 से विक्रेता तारिक उमर फारूकी पुत्र मुखत्यार अहमद फारूकी नि0 पटटी चौधरान कस्बा बड़ौत हालनि0 ए0 575 पालम विहार गुरूग्राम हरियाणा का नाम पृथक करके क्रेता चौधरी चरणसिंह इंस्टीटयूट छपरौली रोड कस्बा बड़ौत परगना व तहसील बड़ौत जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष संजीव आर्य पुत्र स्व0 वीरसैन सिंह व सचिव अशोक कुमार पुत्र स्व0 वीरसैनसिंह नि0गण ग्राम लुहारी के नाम बतौर बैनामा दर्ज होवे। ह0 27.09.19 3) न्यायालय उपजिलाधिकारी बडौत जनपद बागपत वाद सं0 /t201911080402938 अ0 धारा 80 राजस्व संहिता 2006 चौ0चरणसिह इस्टीटयूट बनाम नगर पालिका परिषद बडौत पत्रांक 274/ रीडर एस डी एम बडौत / 2019 दि0.01 नवम्बर 2019 उपरोक्त वाद में न्यायालय के आदेश दि0.01.11.2019 के अन्तर्गत तहसीलदार बडौत की आख्या दि0.24.10.2019 स्वीकार की जाती है भूमि खाता सं0 237 खसरा न0 177 रकबा 0.2530 है0 मे से रकबा 0.2500 है0 स्थित मौजा बडौत पट्टी चौधरान बाहर सीमा परगना व तहसील बडौत जिला बागपत को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है ह0 04.11.19

Data Digitally Signed by:KAJOL(REVENUE KANUNGO) **दिनांक/समय/स्थान: 06-09-2025 01:52:15 तहसील : बडौत** यह उद्दरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : मौ0 यासीन तहसील : बडौत मुद्रित दिनांक एवं समय: 06-09-2025 01:52:15 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्दरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |	NATIONAL INFORMATICS CENTRE

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01225/2023-2024

दिनांक 23/09/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/BAG/07207/2023-2024

पत्रावली संख्या:37035-M दिनांक:1998-1999

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चौधरी धर्मार्थ समिति, ग्राम व पोस्ट लुहारी, निकट शिव मन्दिर, जिला बागपत, बागपत, 250611** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 605 दिनांक-10/08/1998 को दिनांक-10/08/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ASHOK KUMAR)
CE4958CE2676B3321EF460C1C6D8783E1BF952D8
Date: 23/09/2023 1:47:52 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-23/09/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01225/2023-2024 दिनांक 23/09/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/BAG/07207/2023-2024 पत्रावली संख्या:37035-M दिनांक:1998-1999

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चौधरी धर्मार्थ समिति, ग्राम व पोस्ट लुहारी, निकट शिव मन्दिर, जिला बागपत, बागपत, 250611** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 605 दिनांक-10/08/1998 को दिनांक-10/08/2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(ASHOK KUMAR)
CE4958CE2676B3321EF460C1C6D8783E1BF952D8
Date: 23/09/2023 1:47:52 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-23/09/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

तहसीलदार महोदय
बड़ौत (बागपत)

विषयः— गाठे संख्या आपस में सठे होने का प्रमाण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

निवेदन यह है कि चौ0 चरण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, छपरौली रोड़ पशु हॉस्पिटल के पीछे, बड़ौत में स्थित है। खाता संख्या 397, खसरा संख्या 175/976 में 0.0250 है0 खाता संख्या 237 खसरा संख्या 177 में 0.02530 है0 खसरा संख्या 180 में 0.0760 है0 खाता संख्या 399 के खसरा संख्या 179 में 0.1520 है0 जो आपस में सेट है।

अतः आपसे निवेदन यह है कि गाठे संख्या आपस में सटे होने का प्रमाण जारी करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सधन्यवाद!

भवदीय

डॉ0 संजीव आर्य
अध्यक्ष
[stamp: प्रबन्ध समिति]

महोदय,

कस्बा बड़ौत पट्टी चौधरान बाहर हद्द परगना बड़ौत तहसील बड़ौत जिला बागपत के खसरा नं. 175/976 क्षेत्रफल 0.0250 है0, खसरा नं. 177 क्षेत्रफल 0.02530 है0 खसरा नं. 179 क्षेत्रफल 0.0630 है0, खसरा नं. 180/1 क्षेत्रफल 0.0760 व खसरा नं. 179 क्षेत्रफल 0.1520 है0 कुल नम्बरान 04 कुल क्षेत्रफल 0.5660 है0 उक्त खसरा नं. आपस में मिले हुए (सटे हुके) हैं। इन खसरों पर चौधरी चरण सिंह इं0 आफ स्पेशल एजुकेशन की इमारत (भवन) बनी हुई है। साथ में शजरा की छाया प्रति संलग्न है। आख्या सेवा में प्रेषित है।

[signature]
भारत भूषण (लेखपाल)
क्षेत्र बड़ौत
तहसील बड़ौत (बागपत)

तहसीलदार बड़ौत

रिपोर्ट लेखपाल संस्तुति सहित प्रेषित।

[signature] 28-10-2018
नायब तहसीलदार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9089/2017

A 969832

1

आवेदन पत्र में दर्शाया गया मूल्य साफटवेयर की त्रुटि के कारण कम अथवा ज्यादा हो सकता है लेख पत्र पर प्रभावी दर सूचि के प्रावधानों के अनुसार लेख पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर उचित स्टाम्प शुल्क अदा किया है

20 NOV 2017

विक्रेतागण अनुसूचित जाति व जनजाति से नही है ।

विक्रय सम्पत्ति वक्फ,तालाब या सरकारी नही है।

फोटो मुकिरान द्वारा स्वंय सत्यापित ।

418AT
4/1/18

बैनामाः 56,92,000/–रूपये स्टाम्पः 56,92,000/–रूपये पर

स्टाम्प पत्रः– 21 किता, असल स्टाम्पः 2,85,000/–रूपये।

प्रारूप द्वाराः चौ0 ओमवीरसिंह तोमर वसीका नवीस बडौत

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.भूमि का प्रकार	–कृषि
2.वार्ड/परगना	–बडौत

Ashok Kumar

1 — 200000/- चौ० चरणसिंह इन्सटीट्यूट दपरौली रोड बड़ौत बा०
अध्यक्ष श्रीमती [illegible] त्री वीर सैनसिंह [illegible]

20 NOV 2017

[illegible] 3928 / 17 [illegible] किया गया।

22/11/17

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 192976

07 AUG 2019

कोषाधिकारी

1

विकय पत्र

फोटो मुकिरान द्वारा स्वयं सत्यापित।

प्राारूपकर्ता– चौ0 ओमवीर सिंह दस्तावेज लेखक बडौत।

विकय सम्पत्ति वक्फ, तालाब या सरकारी नही है।

विकेता अनुसूचित जाति व जन जाति से नही है।

बैनामा 56,92,000/– रूपये। मालियत 56,92,000/– रूपये।

स्टाम्पपत्र :– 28 किता। स्टाम्प अंकन 3,99,000/– रूपये।

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार – सेवटा आबी
2. वार्ड/परगना – बडौत।

Ashok Kumar

क्रमांक न. 7 ₹ 20000/-
श्री चौधरी चरण सिंह इंस्टीट्यूट छपरौली रोड बड़ौत द्वारा संजीव आर्य S/o स्व. वीरसैन सिंह लि०
रोकड़ .... में सम्मिलित किया गया

07 AUG 2019

न्यायालय उपजिलाधिकारी बड़ौत

वाद सं० T201911080402938 धारा 80

चौ० चरण इस्सोरपुर बनाम नगर पालिका परिषद

मौजा बड़ौत पट्टी चौधरान

नकल नकल

सवाल संख्या 563

आदेश दिनांक 1-11-19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मेरठ,जनपद :बागपत,तहसील :बडौत
वाद सख्या :-02938/2019
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T201911080402938
चौ0 चरण सिंह इंस्टीट्यूट बनाम नगर पालिका परिषद बडौत
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मौजा–बडौत पटटी चौधरान बाहर सीमा

निर्णय

उपरोक्त वाद की कार्यवाही वादी चौधरी चरण सिंह इंस्टीटयूट छपरौली रोड कस्बा बडौत परगना व तहसील बडौत जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष संजीव आर्य पुत्र स्व0 वीरसैन सिंह व सचिव अशोक कुमार पुत्र स्व0 वीरसैन सिंह के प्रार्थना पत्र/वाद पत्र पर संस्थित हुई। वादीगण का कथन है कि वादीगण कृषि भूमि खाता संख्या 237 खसरा नम्बर 177 रकबा 0.2530 है0 मे से रकबा 0.2500 है0 स्थित मौजा बडौत पटटी चौधरान बाहर सीमा परगना व तहसील बडौत जिला बागपत में संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज बोजोत है। वादीगण के द्वारा खसरा नम्बर 177 रकबा 0.2500 है0 भूमि में कोई कृषि कार्य नही किया जा रहा है और उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आबादी में आ गयी है। और उक्त भूमि में किसी प्रकार की कोई फसल पैदा नहीं की जा रही है। जो अकृषिक भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को व्यवसायिक रूप से उपयोग किया जायेगा। वादीगण अपने उक्त क्षेत्रफल 0.2500 है0 भूमि को आबादी घोषित कराना चाहते है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ एक किता फर्द खतौनी वर्ष 1419 ता 1424 फसली बाबत खाता नं0 00424 व फर्द खतौनी वर्ष 1425 ता 1430 फसली बाबत खाता नं0 00237 मौजा बडौत पटटी चौधरान बाहर सीमा प्रस्तुत की है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बडौत से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बडौत द्वारा दिनांक 24.10.2019 को आख्या उपलब्ध करायी गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है प्रश्नगत भूमि स्थित मौजा बडौत पटटी चौधरान बाहर सीमा परगना व तहसील बडौत जिला बागपत की भूमि खाता सं0 237 के खसरा नं0 177 रकबा 0.2530 है0 लगानी 6.25 पैसे में वादीगण चौधरी चरण सिंह इंस्टीटयूट छपरौली रोड कस्बा बडौत परगना व तहसील बडौत जिला बागपत द्वारा अध्यक्ष संजीव आर्य पुत्र स्व0 श्री वीरसैन सिंह व चौधरी चरण सिंह इंस्टीटयूट छपरौली रोड कस्बा बडौत परगना व तहसील बडौत जिला बागपत द्वारा सचिव अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्री वीरसैन सिंह निवासी ग्राम लुहारी परगना कोताना तहसील बडौत जिला बागपत व तारीक उमर फारूखी पुत्र मुख्त्यार अहमद निवासी पटटी चौधरान कस्बा बडौत परगना व तहसील बडौत जिला बागपत के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। किसी अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है। वादीगण द्वारा अपने सम्पूर्ण भाग की चारदीवारी कर ली गयी है। जिसमे किसी प्रकार का कोई भवन नही बना है। दिये गये शपथ पत्र के अनुसार वादी 05 वर्ष के अन्तराल में अपने सम्पूर्ण भाग में आबादी का निर्माण कर लेंगे। उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की संशोधित धारा 80(2) के अनुसार वादीगण को प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजन के लिये ऋण और अन्य आवश्यक अनुतोष आदि प्राप्त करने का अधिकार है। परन्तु भू उपयोग परिवर्तन कोटि में 5 वर्ष की